भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *305

गुरूवार, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 (शक)

रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने वाली योजनाएं

***305. श्री एम. शनमुगमः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में नौकरी की मांगों को पूरा करने के प्रति प्रभावशीलता और पर्याप्तता के संदर्भ में चल रही योजनाओं की समीक्षा करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो देश में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के और अधिक अवसरों के सृजन के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में इन योजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप प्रदान किए गए रोजगार अवसरों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

"युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने वाली योजनाएं" के संबंध में श्री एम. शनमुगम द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 31-03-2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *305 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कामगारों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30.06.2021 से बढ़ाकर 31.03.2022 कर दिया गया है। 21.03.2022 तक 54.52 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है, जिसमें तमिलनाडु राज्य के 7.35 लाख लाभार्थी शामिल हैं।

स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 11.03.2022 तक, 34.08 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात इंजनों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित है। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के विशाल अवसर पैदा हों।

सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर सतत संकेन्द्रण के साथ रेलवे, सड़क, शहरी परिवहन, बिजली, दूरसंचार, कपड़ा और किफायती आवास पर बल दिया है। बजट 2021-22 द्वारा 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। इन सभी पहलों से गुणक-प्रभावों के माध्यम से सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा देना अपेक्षित है।

भारत सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना शामिल है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

विभिन्न योजनाओं की प्रभावकारिता की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2019-20 (सर्वेक्षण अवधि, जुलाई, 2019 से जून, 2020) के दौरान, रोजगार में विगत वर्ष की तुलना में एवं 2018-19 तथा 2019-20 के मध्य लगातार वृद्धि हुई, लगभग 4.75 करोड़ अतिरिक्त व्यक्ति श्रम बल में शामिल हुए।

विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप तमिलनाडु राज्य में प्रदान किए गए रोजगार अवसरों के वर्ष-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 31.03.2022 के तारांकित प्रश्न संख्या *305 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु में रोजगार अवसर

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष		
		2018-19	2019-20	2020-21
1	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) (अनुमानित सृजित रोगार, संख्या में)	41,480	41,376	41,504
2	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) (सृजित मानव दिवस लाख में))	2,577	2,485	3,339
3	दीन दयाल उपध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) (नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या)	185	3,324	1,286
4	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)	नियोजित कुशल अभ्यर्थियों की संख्या		
		3,070	325	1,502
		व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु सहायियत लाभार्थियों की संख्या		
		47,156	36,983	49,642
5	प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (खातों की संख्या)	74,40,662	71,20,992	49,47,732

स्रोतः संबंधित मंत्रालय/विभग